आम जनता के पैसे से गहलोत कर रहे है ''ब्रांडिंग'' : राजेन्द्र राठौड़

'डिजाइन बॉक्स नाम की एक मार्केटिंग कंपनी की सलाह पर करीब 180 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं'

जयपुर। विधानसभा सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। गहलोत सरकार का यह आखिरी सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा के ना पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। कानून-व्यवस्था इस बार सदन में प्रमुख मुद्दा होगा। इसके साथ विपक्ष किसानों की कर्ज माफी, पेपर लीक, बेरोजगारी, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, योजना भवन मिली करोड़ों की नकदी और सोने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की रणनीति

- **विपक्ष विधानसभा में उठाएगा हर दिन एक मुद्दा**

बनी है। विपक्ष के नाते हर दिन एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष को सदन में घेरेंगे और जवाब मांगेंगे। राठौड़ ने संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सत्र जनवरी में आहूत हुआ था अभी भी वो ही सत्र शुरू हो रहा है। इसके चलते विधायक का आम जनता से जुड़े सवाल पूछने का कोटा पूरा होने के कारण तारांकित और अतारांकित सवाल पूछने से महरुम रह गए हैं। सरकार ने सत्र का सत्रवासन नहीं किया, नए सिरे से सत्र नहीं बुलाया, जिसके चलते विधायकों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं मिला। सरकार की नीयत में खोट है, सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानती है। इसलिए इस तरह से एक ही सत्र को लगातार चालू रखा है। कांग्रेस सरकार ने साढ़े चार साल में केवल संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की है। राठौड़ ने कहा कि सदन में हर दिन जनमानस का एक मुद्दा उठाया जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था इस बार विधानसभा में प्रमुख मुद्दा होगा। पहले प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें योजना भवन में करोड़ों के कैश मिलने का मामला हो या फिर जल जीवन मिशन और आईटी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार इन सब मुद्दों पर हर दिन विपक्ष सत्ता पक्ष से सदन में मजबूती से सवाल करेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार देने का सपना दिखाने वाली कांग्रेस ने पेपर लीक माफियाओं को खुला संरक्षण देकर युवाओं के साथ पाप किया है। इसे सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। राठौड़ ने कहा कि तेज बारिश में प्रशासन की लापरवाही से 19 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ब्रांडिंग कंपनी के साथ मिलकर खर्च कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 180 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ब्रांडिंग में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक डिजाइन बॉक्स नाम की मार्केटिंग कंपनी है, उसकी सलाह पर यह पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो इसका हिसाब भी लिया जाएगा। साथ ही जनता की गाढ़ी कमाई को फिजूलखर्ची में उड़ाने के लिए जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

राजस्थान विधानसभा में आज होगा राष्ट्रपति का पहला सम्बोधन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जयपुर पहुंचने पर सांगानेर हवाई अड्डे स्थित स्टेट हैंगर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान विधानसभाध्यक्ष सी.पी.जोशी भी मौजूद रहे।

जयपुर, (का.सं.)। पन्द्रहवीं राजस्थान विधानसभा के पुनः आरम्भ हो रहे आठवें सत्र में शुक्रवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा के सदन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का विशेष सम्बोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने बताया कि 14 जुलाई को प्रातः 10:50 बजे विधान सभा पहुँचने पर राष्ट्रपति की अगवानी की जायेगी। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति का सम्बोधन पहली बार हो रहा है। राज्य विधानसभा के लिए यह गौरवशाली और ऐतिहासिक पल होंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए विधानसभा भवन पर भव्य रोशनी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी स्वागत उदबोधन देंगे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र सहित विधायक सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे।

विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में भारत की राष्ट्रपति का विशेष सम्बोधन समारोह पहली बार आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति के विधानसभा आगमन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तैयारियों का रिहर्सल भी बुधवार को कर लिया गया है।

हार्डकोर अपराधी की पेशी वीडियो कॉफ्रेंसिंग से होगी

- **प्रमुख शासन सचिव के नेतृत्व में हुई बैठक में लिया गया निर्णय**
- **भरतपुर जिले के अमोली टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग की घटना की जांच आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार को सौंपी।**

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में भरतपुर पेशी के दौरान हुई घटना दोबारा ना हो इसे लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हार्डकोर अपराधियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कराई जाएगी। इसे लेकर प्रमुख सचिव ने डीजीपी राजस्थान और डीजी जेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।

प्रमुख सचिव ने डीजी जेल और डीजीपी राजस्थान से समन्वय स्थापित कर जिला स्तर पर एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है। यह कमेटी हार्डकोर बदमाशों, संगठित गिरोह और गंभीर धाराओं में बंद अपराधियों जिन्हें पेशी पर ले जाने के दौरान जानलेवा हमला होने या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो, उन्हें चिन्हित कर सूची तैयार करेंगी। सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसे अपराधियों की कोर्ट में पेशी हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर की तर्ज पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाएगी। व्यक्तिगत पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने या कोर्ट के आदेश होने पर ही कराई जाएगी। बंदी जिस जेल में बंद है और उसे पेशी के लिए जिस जिले के कोर्ट में जाना है, उन दोनों जिले के एसपी पेशी के दौरान बंदियों के आने-जाने के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। अगर संभव हो तो बदमाश को पुलिस वाहन में ही पेशी के लिए ले जाया जाएगा।

बैठक में डीजीपी उमेश मिश्रा, डीजी जेल भूपेंद्र कुमार दक, प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञान प्रकाश गुप्ता, शासन सचिव गृह विभाग सरवन कुमार, शासन सचिव गृह (विधि) विभाग, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, महानिरीक्षक पुलिस अपराध, महानिरीक्षक पुलिस कारागार एवं संयुक्त शासन सचिव गृह (जेल) अवधेश मीणा मौजूद रहे।

डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि भरतपुर जिले के अमोली टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग की घटना की जांच आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार को सौंपी गई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध नरोत्तम वर्मा के साथ भरतपुर पहुंच गए हैं। फायरिंग की घटना को लेकर प्लानिंग से लेकर हथियार मुहैया कराने और अब तक गिरफ्तार हुए बदमाशों से पूछताछ आईजी क्राइम के सुपरवीजन में होगी।

सेवानिवृत्त आई.ए.एस. सत्यनारायण सिंह का निधन

जयपुर। डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एवं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्यनारायण सिंह का आज सुबह जयपुर में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे।

- **मुख्यमंत्री ने परिजनों से बात कर बंधाया ढांढस**

उनका जयपुर के सीके बिरला अस्पताल में उपचार चल रहा था। सिंह ने आज सुबह अंतिम सांस ली।

उनका अंतिम संस्कार अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी मोक्षधाम पर किया गया। शव यात्रा में राजसिको के चेयरमेन राजीव अरोड़ा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक एनसी गोयल सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं समाजबंधु शामिल हुए।

सत्यनारायण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके परिजनों से दूरभाष पर बात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। बता दें कि सत्यनारायण सिंह ओबीसी आयोग के सचिव और जैसलमेर व सवाईमाधोपुर के कलक्टर भी रह चुके हैं।

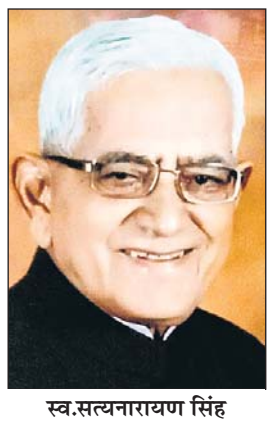

स्व.सत्यनारायण सिंह

इसके अलावा डीआईपीआर के निदेशक भी रहे हैं। वर्ष 2003 में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच से करौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।

गौरतलब है कि सत्यनारायण सिंह अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ कर गए हैं। वे जयपुर नगर परिषद के आखिरी चेयरमैन राधा मोहनलाल वकील के छोटे भाई थे। सिंह के परिवार में पत्नी निर्मला, पुत्र रिपुंज्य सिंह और परिक्षित सिंह के साथ ही दोनों पुत्रों की पत्नियां, पौत्र-पौत्री समेत अन्य परिजन शामिल है।

छेड़छाड़ करने वाले हैड कांस्टेबल को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से छेडछाड करने वाले हेड कांस्टेबल बाल चंद को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 58 वर्षीय इस अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। अदालत ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत जब अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो अदालत यह मानकर चलती है कि उसने अपराध किया है। ऐसे में अपने आप को निर्दोष साबित करने का भार अभियुक्त पर ही रहेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ने अदालत को बताया कि मामले में पीडिता के पिता ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर, 2021 की शाम उसकी दस साल की बेटी और आठ साल का बेटा पानी भरने के लिए पुलिस लाइन से मैस के आरओ कूलर पर गए थे।

'पालनहार योजना भाजपा सरकार की देन'

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में राज्य को दी गई योजनाओं के नाम पर झूठी वाह-वाही बटोरने का आरोप लगाया।

भाजपा नेता डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्ष 2003 से 2008 के दौरान जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब देश में पहली बार राजस्थान में पालनहार योजना की शुरुआत की गई, जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई।

हाड़कोर अपराधी की पेशी वीडियो कॉफ्रेंसिंग से होगी

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में भरतपुर पेशी के दौरान हुई घटना दोबारा ना हो इसे लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हार्डकोर अपराधियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कराई जाएगी। इसे लेकर प्रमुख सचिव ने डीजीपी राजस्थान और डीजी जेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।

प्रमुख सचिव ने डीजी जेल और डीजीपी राजस्थान से समन्वय स्थापित कर जिला स्तर पर एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है। यह कमेटी हार्डकोर बदमाशों, संगठित गिरोह और गंभीर धाराओं में बंद अपराधियों जिन्हें पेशी पर ले जाने के दौरान जानलेवा हमला होने या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो, उन्हें चिन्हित कर सूची तैयार करेंगी। सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसे अपराधियों की कोर्ट में पेशी हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर की तर्ज पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाएगी। व्यक्तिगत पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने या कोर्ट के आदेश होने पर ही कराई जाएगी। बंदी जिस जेल में बंद है और उसे पेशी के लिए जिस जिले के कोर्ट में जाना है, उन दोनों जिले के एसपी पेशी के दौरान बंदियों के आने-जाने के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। अगर संभव हो तो बदमाश को पुलिस वाहन में ही पेशी के लिए ले जाया जाएगा।

बैठक में डीजीपी उमेश मिश्रा, डीजी जेल भूपेंद्र कुमार दक, प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञान प्रकाश गुप्ता, शासन सचिव गृह विभाग सरवन कुमार, शासन सचिव गृह (विधि) विभाग, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, महानिरीक्षक पुलिस अपराध, महानिरीक्षक पुलिस कारागार एवं संयुक्त शासन सचिव गृह (जेल) अवधेश मीणा मौजूद रहे।

डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि भरतपुर जिले के अमोली टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग की घटना की जांच आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार को सौंपी गई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध नरोत्तम वर्मा के साथ भरतपुर पहुंच गए हैं। फायरिंग की घटना को लेकर प्लानिंग से लेकर हथियार मुहैया कराने और अब तक गिरफ्तार हुए बदमाशों से पूछताछ आईजी क्राइम के सुपरवीजन में होगी।

आरक्षित सीट अन्य यात्री को आवंटित करने पर रेलवे पर लगाया हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने आरक्षित सीट को अन्य यात्री को आवंटित करने को रेलवे का सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने उत्तर पश्चिम रेलवे को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी से टिकट के लिए वसूली गई 285 रुपए की राशि नौ फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाए। इसके साथ ही आयोग ने परिवादी को हुई परेशानी व मानसिक वेदना को देखते हुए रेलवे पर 12 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। आयोग ने कहा कि हर्जाना राशि और टिकट राशि का भुगतान परिवादी को डेढ़ माह में कर दिया जाए। आयोग अध्यक्ष सूबे सिंह और सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश राकेश कुमार कुमावत के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने 12 अप्रैल, 2019 को रामदेवरा से जयपुर आने के लिए गांधी नगर रेलवे स्टेशन से रुणिचा एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर श्रेणी के तीन टिकट बुक कराए थे। रेलवे की ओर से जारी आरक्षण चार्ट में परिवादी को एस-1 कोच में सीट नंबर 44, 49 और 65 आवंटित की गई।

यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक ने उसके टिकट की जांच कर उस पर भी सीट नंबर लिख दिए। परिवादी खाना खाने के बाद जब अपनी सीट नंबर 44 पर गया तो वहां किसी अन्य व्यक्ति को सोता हुआ पाया। जब परिवादी ने उससे सीट खाली करने को कहा तो उसने टिकट निरीक्षक की ओर से सीट आवंटित करना बताकर सीट खाली करने से इनकार कर दिया। इस दौरान जोधपुर आने पर परिवादी ने टिकट निरीक्षक से संपर्क कर आवंटित सीट दिलाने की प्रार्थना की, लेकिन निरीक्षक ने सीट उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी।

बाल कविता संग्रह 'परीलोक की राना' का लोकार्पण

जयपुर, (का.सं.)। प्रतिष्ठित कवि-व्यंग्यकार फारूक आफरीदी ने कहा है कि बच्चों में अच्छे संस्कारों के बीजारोपण के लिए उन्हें प्रारंभ से ही सद् साहित्य पढ़ने के अवसर दिए जाएं। कहानी, कविता, संस्मरण और अन्य साहित्यिक विधाएं उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने में महती भूमिका निभाती हैं।

आफरीदी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के सभागार में ख्यातिनाम शायर और बाल साहित्य लेखक अब्दुल समद राही के बाल कविता संग्रह 'परीलोक की रानी' का लोकार्पण कर रहे थे। नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने इसका प्रकाशन किया है। अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी ने कहा कि समद राही देश के जाने-माने बाल साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी, राजस्थानी और उर्दू में विविध विधाओं में साहित्य सृजन किया है।

SBI

कृपया ध्यान दें
भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक

बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए संशोधित/अनुपूरक लॉकर करार जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक से लॉकर सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी लॉकर धारक शाखा से संपर्क करें और लागू संशोधित/अनुपूरक लॉकर करार निष्पादित करें।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य दीवान सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी- 599, पवनपुरी वेस्ट, बेनाड रोड, निम्बार्क स्कूल के पास जयपुर, राजस्थान के पुत्र लोकेन्द्र सिंह मेरे अभिभाष्य के कहे में नहीं है मेरे अभिभाष्य के साथ बदसलूकी करता है तथा मेरे अभिभाष्य का कहना नही मानता है जिस कारण मेरा अभिभाष्य अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से उनके पुत्र लोकेन्द्र सिंह को बेदखल करता है। अब लोकेन्द्र सिंह का मेरे अभिभाष्य की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है। यदि कोई व्यक्ति इससे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरा अभिभाष्य का अब लोकेन्द्र सिंह से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है। सूचित रहें।

भवदीय
(अश्वनी कुमार सेन) एडवोकेट, मो.नं. 9414033373

खोया पाया

प्लाट सं. 11 (भाग 1/3) योजना तीर्थ नगर की श्री रामदास रेलिया द्वारा श्री श्याम किशोर लाखोटिया के हित में निष्पादित/मूल मुखत्यार आम की प्रति गुम हो गई है। मिलने पर सम्पर्क करें। (राजेश खेमका एवं विकास खेमका)- 9413223331

मेरा मकान सं. बी/8/9 चिनाब अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, नोड्यूज आदि गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। नीरज पालीवाल- 9414178099

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that, M/s Balaji Trading Company have been granted Environmental Clarance with EC Identification No. EC23B001 RJ114588 (File No. 18297)issued on 10.07.2023 EC vide letter No. F1(4)/ SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/ Cat.B1(22681/2022-23, Jaipur, dated 08/07/2023 by SEIAA, Rajasthan for Proposed Expansion of Production Capacity from 79,020 TPA to 5,90,000 TPA (ROM) and inclusion of Masonry Stone Mineral in Existing Quartz & Feldspar Mine, M.L. No. 48/2005, M.L Area: 4.96 ha., Near village-Lodha Ki Dhani, Tehsil-Neem Ka Thana, District-Sikar (Rajasthan), copy of Environment Clearance available in the office of "State Environment Impact Assessment Authority" (SEIAA), Rajasthan for information of general public and can also be seen on "PARIVESH" web portal of MoEFCC.

Project Proponent
M/s. Balaji Trading Company

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 163/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री भगवान सहाय उर्फ श्री श्री 108 स्वामी भगवान दास पुत्र श्री स्व. भगत राम निवास 47, रैगरो का मोहल्ला, हसनपुरा-बी, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अखिल भारतीय रामजन मण्डल चैरिटेबल ट्रस्ट 5, श्री जीवाराम गुरुद्वारा एवं हरिहर मंदिर श्री राम नगर, कॉलोनी, सांगानेर जयपुर के 302029 प्रन्यास के सम्बन्ध मे अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 16.08.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 20/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री श्याम सिंह चौहान, श्री श्याम मंदिर कमेटी, खाटूश्याम जी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री श्याम मंदिर कमेटी, खाटू श्याम जी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में श्री शाम्भू सिंह चौहान अध्यक्ष के स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त श्री प्रताप सिंह चौहान का नाम वतौर अध्यक्ष दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए पत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 16.08.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत काजीपुरा समिति सांभरलेक जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक-काजीपुरा/निविदा/लेखा/2023-24/42 दिनांक- 05.07.2023

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2023-24

पंचायत समिति सांभरलेक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत काजीपुरा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायतीराज की अन्य समस्त योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्माण सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत ऐसे विनिर्माताओं, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं जो किसी भी राजकीय संस्थान/उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित/ब्लेक लिस्टेड नहीं है, से ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा में जमा कराये जाने योग्य शुल्कों की राशि व जमा करवाने का माध्यम एवं अन्य शर्तें एवं निविदा में म्पादित करवाये जाने वाले कार्यों की राशि एवं अन्य विस्तृत विवरण पंचायत समिति/ग्राम पंचायत कार्यालय समय में एवं उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।

UBIN NO.- 2023_PRD_349076_1
TENDER ID- ZJP2024GOB00989

सरपंच
ग्राम पंचायत काजीपुरा
पं.स. सांभर लेक

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत काजीपुरा
पं.. सांभर लेक जयपुर

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया बहन

श्रीमती रामा देवी यादव

पत्नी स्व. श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव का स्वर्गवास दिनांक 12.7.23 को हो गया है। पीहर पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 14.7.23 को सांय 05:00 से 05:45 बजे तक सत्संग भवन, जनता स्टोर के पास, बापू नगर, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- ईश्वर नारायण, बिरदीचन्द (भ्राता), गोपीकृष्ण, लल्लूराम, भगवान सहाय, रामू, सोहनलाल, बाबूलाल, लक्ष्मीनारायण, गणेश नारायण, यश (भतीजे)। मो.- 9352719650

हमारी पूजनीया माताजी

श्रीमती रामा देवी यादव

(पत्नि स्व. श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव) का स्वर्गवास दिनांक 12.07.2023 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 14.07.2023 को सांय 5.00 से 6.00 बजे सत्संग भवन, जनता स्टोर के पास, बापूनगर जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- गोपाल लाल यादव- बीना, दिनेश- मंजू (पुत्र- पुत्रवधू), भरत- सीमा, प्रकाश- कृष्णा (अनुप्रेक्षा) (पौत्र-पौत्रवधू), कार्तिक (पौत्र), रूचि (पौत्री), आदित्य (प्रपौत्र)

मो. 9950713983, 9828722265

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त- प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर

क्रमांकः 5909 **आम सूचना** दिनांक 13.06.2023

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 71/85 (LIG) का आवंटन मूल आवंटी श्री निर्मल भटनागर पुत्र श्री विनोद भटनागर को आवंटित किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 5782 दिनांक 15.02.1993 को जारी किया गया था। उक्त आवास का विक्रय श्री गुरुमुख सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह को कर दिया गया। श्री गुरुमुख सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह द्वारा नियमितीकरण करने हेतु आवेदन करने पर पत्र क्रमांक 3446/5376 दिनांक 14.09.2010 के द्वारा इनके नाम नियमितीकरण किया गया। श्री गुरुमुख सिंह की मृत्यु दिनांक 04.04.2012 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती विमल कौर पत्नी स्व. श्री गुरुमुख सिंह द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8943 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में श्रीमती विमल कौर पत्नी स्व. श्री गुरुमुख सिंह का नाम दर्ज किया गया। श्रीमती विमल कौर की मृत्यु दिनांक 04.05.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरुमुख सिंह द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्तआवास के भाग का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं. श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरुमुख सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/1124 दिनांक- 12.07.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 50/408 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 123.47 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री ईश्वर नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री रूपनारायण गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 8482 दिनांक 31.03.1993 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 05.08.1993 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 18.03.1996 के द्वारा श्री ईश्वर नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री रूपनारायण गुप्ता के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 27.03.1996 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री ईश्वर नारायण गुप्ता की मृत्यु दिनांक 15.08.2007 को हो जाने के कारण इनकी पुत्री श्रीमती सुनीता ताम्बी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाश